

न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी: अमन मलिक)

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक-91ए / 2017

संस्थित दिनांक-06.05.2017

फाईलिंग नंबर-420 / 2017

1. सुशीला पति स्व. श्री मंगलप्रसाद राठौर,
उम्र-58 वर्ष, निवासी-खण्डारा,
तहसील व जिला-बैतूल (म.प्र.)आवेदिका / वादिनी।

विरुद्ध

1. लक्ष्मी पति श्री राजू कलार,
उम्र-46 वर्ष, निवासी-खण्डारा,
तहसील व जिला-बैतूल (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन,
द्वारा-कलेक्टर बैतूल,
तह.जिला बैतूल(म.प्र.)।
-अनावेदकगण / प्रतिवादीगण।

वादी द्वारा श्री कैलाश राठौर अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा श्री अशोक वर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 2 पूर्व से एकपक्षीय।

आदेश

(आज दिनांक-25.09.17 को पारित किया गया)

1. इस आदेश द्वारा वादिनी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.-1/17) का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदिका/वादिनी ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि आवेदिका ने अनावेदिका क्रमांक 1 के भाई मंगल पिता हेमराज से मौजा खण्डारा तहसील व जिला बैतूल स्थित भूमि खसरा नंबर 33/2 पूर्ण रकबा 01.432,

खसरा नंबर 33/1 में से रकबा 00.716 मौजा, खसरा नंबर 142/2 में से रकबा 00.187, खसरा नंबर 146/1 में से रकबा 00.403 (विवादित संपत्ति) विक्रयपत्र पंजीयन दिनांक 28.02.2012 के माध्यम से क्रय की थी। आवेदिका ने मंगल पिता हेमराज से ख.नं. 33/2 रकबा 1.432 हेक्टेयर भूमि क्रय किया है जो विक्रेता मंगल के नाना रामचरण से प्राप्त हुई थी जिसका पुराना खसरा नंबर 24 रकबा 2.865 हेक्टेयर था। उक्त भूमि के स्वामी मंगल ने सहस्वामी रामरती से विभाजन करवाकर प्राप्त किया था। इसी तरह रामरती की मृत्यु के पश्चात अनावेदिका क्रमांक 1 के साथ ख.नं. 33/1, 142/2, 146/1 प्राप्त किया था। आवेदिका अपने द्वारा क्रय की गई संपत्ति पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज होकर कृषि कार्य कर रही है। आवेदिका के द्वारा क्रय भूमि के नये खसरे नंबर क्रमशः 33/2, 33/3, 142/5 एवं 146/1 रकबा 1.432, 0.716, 0.186 एवं 0.403 हेक्टेयर है। आवेदिका द्वारा क्रय भूमि पर उनका नामांतरण दिनांक 19.03.2012 को हो चुका है। आवेदिका को वर्ष 2013 में ज्ञात हुआ कि अनावेदिका क्रमांक 1 ने आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सहित अन्य भू-स्वामी अशोक राठौर, रामनाथ, मीना की भूमि पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में एक वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया है। उक्त प्रकरण में आवेदिका व अन्य क्रेता आवश्यक पक्षकार थे जिसके बावजूद भी अनावेदिका क्रमांक 1 ने आवेदिका को पक्षकार नहीं बनाया था तब आवेदिका ने प्रकरण की जानकारी लिया तब ज्ञात हुआ कि अनावेदिका क्रमांक 1 ने माँ रामरती से मौजा खण्डारा जिला बैतूल स्थित भूमि खसरा नंबर 193/1 रकबा 00.012, खसरा नंबर 33/2 रकबा 02.865, खसरा नंबर 112 रकबा 00.619, खसरा नंबर 113 रकबा 00.809 का एक वसीयतनामा बनवा लिया है। अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा उक्त असत्य व फर्जी वसीयत के माध्यम से तहसीलदार बैतूल से नामांतरण आदेश प्राप्त कर लिया है जिसकी अपील उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैतूल एवं आयुक्त होशंगाबाद में की किंतु उक्त अपील बिना उनके द्वारा दिखाये गये विधिक एवं तथ्य को ध्यान रखते हुये खारिज कर दी गयी। अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा राजस्व न्यायालय में विवादित संपत्ति भूमि से आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित करवाकर स्वयं का नाम दर्ज कराकर संपत्ति का स्थानांतरण करने की नियत में है। आवेदिका का वाद प्रथम दृष्ट्या ही सुदृढ़ है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी आवेदिका के पक्ष में है। अतः आवेदिका के पक्ष में तथा अनावेदिका क्रमांक 1 के विरुद्ध इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया गया कि अनावेदिका क्रमांक 1 स्वयं व अन्य किसी के माध्यम से आवेदिका के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर हस्तक्षेप न करे।

3. अनावेदिका क्रमांक 1/प्रतिवादिनी क्रमांक 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदिका के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र विधि के विरुद्ध है, विक्रेता मंगल के पास उक्त विक्रयपत्र निष्पादन करने का कोई अधिकार नहीं है। मंगल द्वारा अपने हक से ज्यादा की भूमि का विक्रय किया गया है। मंगल पिता हेमराज तथा अनावेदिका क्रमांक 1 की माँ रामरतीबाई

जौजे हेमराज को मौजा खण्डारा स्थित खसरा नंबर 33 रकबा 2.865 हेक्टेयर भूमि अनावेदिका क्रमांक 1 के नाना से प्राप्त हुई थी जिसका विधिवत बटवारा के पश्चात खसरा नंबर 33 विभाजित होकर खसरा नंबर 33/1 रामरतीबाई तथा 33/2 रकबा 1.432 हेक्टेयर भूमि मंगल पिता हेमराज को प्राप्त हुई और खसरा नंबर 33/2 की भूमि से अनावेदिका क्रमांक 1 को कोई दावा नहीं करती है। शेष खसरा नंबर की भूमि के विक्रयपत्र को विक्रय करने का अधिकार मंगल वल्द हेमराज को नहीं था। रामरती वल्द रामचरण के जीवित अवस्था में पुत्र मंगल बटवारा प्राप्त कर पृथक हो गया था। रामरतीबाई अपनी पुत्री अनावेदिका क्रमांक 1 के साथ-साथ रही ऐसी स्थिति में मंगल अपने अंश की भूमि का बटवारा मृत्यु पूर्व रामरती से कराये जाने की स्थिति में रामरतीबाई के अंश की भूमि पर कोई अंश प्राप्त नहीं कर सकेगा तथा रामरतीबाई के द्वारा अपने जीवन काल में वसीयत के निष्पादन की स्थिति में रामरतीबाई की संपदा वसीयत ग्रहिता को प्राप्त होगी। उक्त आधार पर रामरती की मृत्यु के पश्चात मौजा खण्डारा की स्थिति भूमि 33/1 तथा खसरा नंबर 142/2 तथा 146/1 की भूमि मंगल को प्राप्त नहीं होगी और इन्हीं खसरा नंबर के विक्रय पत्र के निष्पादन पर आवेदिका को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। कथित विक्रयपत्र के आधार पर आवेदिका काबिज नहीं है। रामरती द्वारा निष्पादित वसीयत पर कोई आक्षेप पेश नहीं कर सकती है। आवेदिका वसीयत के लिये तृतीय पक्षकार है, रामरतीबाई के वारसानों के द्वारा कोई आक्षेप कभी भी किसी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर विधिवत सुनवाई के पश्चात अनावेदिका क्रमांक 1 के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है। वादी द्वारा स्पष्ट रूप से कब्जे का सीमांकन, नपाई एवं किस आधार पर खसरा नंबर में से स्वतः विभाजित खसरा नंबर का कब्जा प्राप्त किया है, इस संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। राजस्व न्यायालय में आवेदिका पक्षकार है और उनके द्वारा ही प्रथम एवं द्वितीय अपील राजस्व न्यायालय में पेश की गयी है। आवेदिका का वाद प्रथम दृष्ट्या नहीं है। सुविधा का संतुलन अनावेदिका क्रमांक 1 के पक्ष में है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु की विरचना की जा रही है:—

1. क्या प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदिका के पक्ष में है।
2. क्या अपूर्णाय क्षति का सिद्धांत आवेदिका के पक्ष में है।
3. क्या सुविधा का संतुलन आवेदिका के पक्ष में है।

—:प्रथम दृष्ट्या प्रकरण:—

5. अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये आवेदिका का प्रथम दृष्ट्या मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो

साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदिका के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

6. आवेदिका द्वारा यह प्रकट किया गया है कि अनावेदिका क्रमांक 1 आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया है। स्वयं आवेदिका द्वारा यह प्रकट किया गया है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैतूल एवं न्यायालय आयुक्त होशंगाबाद में अपील प्रस्तुत की थी जो निरस्त की जा चुकी है। आवेदिका द्वारा यह प्रकट किया गया है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में उक्त दोनों राजस्व न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की ओर ध्यान ना देते हुये उनकी अपील निरस्त की गयी है। आवेदिका द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय आयुक्त द्वारा किस प्रकार विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध अवैधानिकतापूर्ण उनकी अपील निरस्त की गयी है।

7. आवेदिका द्वारा प्रकट किया गया है कि अनावेदिका क्रमांक 1 राजस्व अभिलेख में उनका नाम विलोपित करवाकर स्वयं का नाम दर्ज करवाकर संपत्ति का हस्तांतरण करना चाहते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आवेदिका द्वारा ऐसा कोई प्रथम दृष्टया तथ्य प्रकट नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो सके कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा राजस्व अभिलेख में अवैधानिकतापूर्ण अपना नाम दर्ज कराया जा रहा है, जबकि स्वयं आवेदिका द्वारा तहसीलदार बैतूल द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त की जा चुकी है।

8. जहाँ तक आवेदिका द्वारा यह प्रकट किया गया है कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा असत्य एवं फर्जी वसीयत के द्वारा आवेदिका के हित को प्रभावित किया जा रहा है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वसीयत फर्जी है अथवा नहीं, यह साक्ष्य का विषय है और इसका निराकरण गुण-दोषों पर विचार उपरांत ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक यह प्रकट किया गया है कि अनावेदिका क्रमांक 1 आवेदिका के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्व न्यायालय एक सक्षम न्यायालय है एवं ऐसा कोई तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं है कि राजस्व न्यायालय द्वारा अवैधानिकतापूर्ण कार्य किया गया है।

9. जहाँ तक आवेदिका द्वारा यह प्रकट किया गया है कि मंगल को अपने हिस्से की भूमि बेचने का हक था एवं विभाजन हो चुका था, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मंगल को कितनी भूमि बेचने का अधिकार था एवं विभाजन हो चुका था अथवा नहीं, इसका निराकरण साक्ष्य लेकर गुण-दोषों पर विचार उपरांत ही किया जा सकता है।

10. उपरोक्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों से प्रथम

दृष्ट्या प्रकरण आवेदिका के पक्ष में दर्शित नहीं होता है। अतः आवेदिका के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या वाद नहीं माना जा सकता।

11. चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदिका के पक्ष में नहीं है, ऐसी स्थिति में सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आवेदिका को अनावेदिका क्रमांक 1 की अपेक्षा अधिक होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

12. उपरोक्त परिस्थितियों में जबकि आवेदिका के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या वाद है, न ही निषेधाज्ञा देने से उसे अपूर्णीय क्षति होगी तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है, इस प्रकरण में उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः आवेदिका/वादिनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. (अस्थाई निषेधाज्ञा) (आई.ए.नं.-1/17)) **निरस्त** किया जाता है।

मेरे द्वारा आज दिनांक को
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।
किया गया।

(अमन मलिक)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बैतूल म0प्र0